

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-587 / 14
संस्थापित दि0 05 / 09 / 2014
फाईलिंग नं. 233504005282014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

1. मुनीर पिता भद्दु, उम्र 32 वर्ष, जाति गोंड,
2. देवीदास पिता देवीराम, उम्र 26 वर्ष, जाति मेहरा,
 दोनों:-नि0ग्राम देवठान, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-30/01/2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-336 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 27/07/16 समय रात्रि 10:00 बजे के करीब या उसके लगभग प्रार्थीया का घर ग्राम देवठान आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादीया मंगलीबाई को पत्थर से मारकर व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया।

02- दिनांक 06/01/17 को फरियादी मंगलीबाई तथा अभियुक्तगण मुनीर देवीदास के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 27/07/14 के रात्रि करीब 10:00 बजे की बात है वह उसके घर पर सोई थी कि उतने में उसके गांव के मुनीर, देवीदास उसके घर पर लापरवाही पूर्वक पत्थर फेंकने लगे, उसने उठकर देखा तो बोला कि उसके घर पर पत्थर क्यों फेंक रहे हो तो मुनिर और देवीदास ने माँ बहन की गंदी गंदी गालियों देने लगे उस समय उसका पति पंजाबराव, नेपाल, भोजू को बताया एवं देखा सुना है। दोनों बोल रहे थे कि उनके खिलाफ रिपोर्ट कि या किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे।

04- प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-3 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 570/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 336, 34, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 30/07/14 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए,

अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त कथन के दौरान बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

“आपने दिनांक 27/07/16 समय रात्रि 10:00 बजे के करीब या उसके लगभग प्रार्थीया का घर ग्राम देवठान आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादीया मंगलीबाई को पत्थर से मारकर व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी मंगलीबाई (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण ने उसके घर के सामने आकर उसे गंदी-गंदी गालियाँ देकर जान से मारने की धमकी दी। घटना उसके पति पंजाबराव, नेपाल एवं भोजू ने देखा था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस आमला में की थी जो प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्र०पी० 2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। आरोपीगण ने कोई पत्थर नहीं फेंका था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 27/07/14 को आरोपीगण ने उसके घर पर लापरवाही पूर्वक पत्थर फेंककर उसका तथा अन्य लोगों का जीवन संकटापन्न किया था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 3 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र०पी० 4 का ए से ए भाग पुलिस को लेख कराया था। आगे इस गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 05 में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह उसकी मर्जी से बिना किसी डर दवाब के राजीनामा किया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी मंगलीबाई को पत्थर से मारकर व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 336/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

08— अभियोजन साक्षी पंजाबराव (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह और उसकी पत्नी मंगलीबाई घर पर ही थी। उसी समय उसके घर के उपर किसी ने

पत्थर फेंककर मारा, फिर वह घर के बाहर निकलकर देखा उसके आंगन में से आरोपी मुनीर एवं देवीदास को भागते हुए देखा। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे घटना नक्शा मौका प्र0पी0-2 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खण्डन किया गया है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका-2 में स्वीकार किया है कि उसे कुछ आवाज आई तो वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला था। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपीगण को उसके घर के उपर पत्थर मारते हुए उसने नहीं देखा। अर्थात् फरियादी मंगलीबाई के घर में किसने पत्थर मारा इस गवाह ने नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी भोजराज जोन्जारे (अ.सा.1) ने मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्न तथा प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादीया मंगलीबाई को पत्थर से मारकर व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादीया मंगलीबाई को पत्थर से मारकर व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण मुनीर एवं देवीदास को भा0द0वि0 की धारा-336 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0